मध्यप्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल दिनांक /02/2014

//अधिसूचना//

क्र. एफ–31–03/2010/सत्ताईस–1, राज्य शासन एतद् द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इन्दौर की याचिका क्र. 7941/2011 वीरेन्द्र पाटीदार विरूद्ध म.प्र शासन एवं अन्य तथा याचिका क्र 4205/2013 मेद्या पाटकर विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.01.2014 के परिपालन में इंदिरा सागर एवं ओंकारेश्वर परियोजना की नहर परियोजना से प्रभावित किसानों/खातेदारों की समस्त शिकायतों के निराकरण हेतु नर्मदा संकुल परियेाजनाओं के लिये गठित शिकायत निवारण प्राधिकरण को प्राधिकृत करते हुए उनके कार्यक्षेत्र का निम्नानुसार विस्तार करता है :–

शिकायत निवारण प्राधिकरण के समक्ष भू–अर्जन अथवा क्षतिपूर्ति राशि की मांग संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर जॉच पश्चात् सही पाये जाने पर शिकायत निवारण प्राधिकरण संबंधित कलेक्टर को भू–अर्जन अधिनियम/राज्य शासन के अन्य निर्देशों (जो लागू हो) के अधीन क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण करने हेतु आदेश दे सकेंगे। ऐसे आदेश प्राप्त होने पर संबंधित कलेक्टर भू–अर्जन अधिनियम/राज्य शासन के अन्य निर्देशों के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण करेंगे, जिसका भुगतान यथास्थिति नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण अथवा ठेकेदार के द्वारा संबंधित अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

7-2-14

(लक्ष्मीकान्त द्विवेदी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग

निरंतर.....2